"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2006—माघ 25, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2006

अधिसूचना

फा. क्र. 1186/डी-398/21-ब/छ.ग./06 .—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर शब्द "यदि वे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों" का लोप किया जाए.

2. नियम 4 के उपनियम (3) में शब्द और अंक "100 लीटर" के स्थान पर शब्द और अंक "200 लीटर" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 14th February 2006

NOTIFICATION

No. 1186/D-398/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Legal Services Authority Rules, 2002, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (2) of rule 4, the words "if a retired judge" shall be omitted.

2. In sub-rule (3) of rule 4, for the word and figure "100 litres", the word and figure "200 litres" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.